नागरिक नामा

जन्म प्रमाण पत्र

नागरिक नामा

2014

जन्म प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है ?

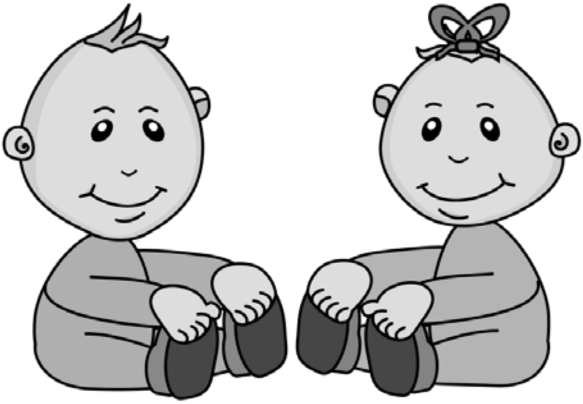

आजकल यह बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है।
अपने बच्चे का जन्म प्रत्र प्राप्त करना आपको कानूनन जरूरी है।
यदि आप यह प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपपर जुर्माना लग सकता है।

यह सर्टीफिकेट होने पर आपका बच्चा/बच्ची अपने मूलभूत अधिकारों का लाभ उठा सकता/सकती है।

जन्म प्रमाण पत्र देता है :

* बच्चे की पैदाइश का सबूत जो उसे स्कूल में दाखिला लेने के लिए जरूरी है। इसे आगे चलकर वोट देने, ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने और यहाँ तक कि शादी का सर्टीफिकेट बनवाने में मददगार साबित होगा।

* यह बच्चे के जन्म स्थान का पक्का सबूत माना जाता है। इसके बिना पासपोर्ट बनवाना या किसी सरकारी स्कीम से लाभ उठाना लगभग नामुमकिन है।

* यह आपके एंव आपके बच्चे के रिश्ते का प्रमाण है जिसकी बिना पर आप राशन-कार्ड में बच्चे का नाम जुड़वा सकते हैं।

जन्म प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करें ?

इसको प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही है ?

- यदि बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है :

डॉक्टर आपको एक पर्ची देगा जिसमें पैदाइश की तारीख एंव समय प्रमाणित होगा। इस पर्ची को संभाल कर रखें।

- यदि बच्चा घर पर पैदा हुआ है :

आपको म्युनिसपिल कमेटी(साउथ) को एक पत्र लिखकर निम्न सूचना देनी

*** बच्चे का नाम**
*** पैदाइश की तारीख**
*** बच्चे का लिंग (M?F)**
*** जन्म स्थान (शहर, निवास का पता)**

इस केन्द्र का पता :

सिटीजन सर्विस व्यूरो
प्रापर्टी टैक्स भवन
लाजपत नगर - ॥

होगी।

घर का मुखिया या अन्य वरिष्ठ सदस्य या दाई को MCD नागरिक सेवा केन्द्र में जाकर जन्म का पंजीकरण करवाना जरूरी है।

पंजीकरण करवाते समय आपको एक फार्म भरना होगा एंव नीचे लिखे दस्तावेज लगाने होंगे।

* पंजीकरण करवाने वाले शख्स की पहचान का सबूत

* अस्पताल से मिली हुई पर्ची

या

यदि घर पर जन्म हुआ हो तो घर के मुखिया का पत्र जिसमें ऊपर दी गई सूचना लिखी गई हो।

यदि जन्म के समय बच्चे का नाम न रखा गया हो क्या बाद में इसे जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकता है ?

"हाँ" जन्म के एक साल के अंदर यह मुफ्त किया जाता है। एक वर्ष बाद 10 रू फीस देनी होगी। इसके लिए "सिटीजन सर्विस ब्यूरो" में आवेदन करना होगा।

7 दिन बाद सर्टीफिकेट तैयार मिलेगा

सर्टीफिकेट के लिये कब आवेदन किया जाये

* बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर आवेदन किया जाना चाहिए।

* इसके बाद प्रक्रिया लंबी एंव मुश्किल हो जाती है। रजिस्ट्रेशन की फीस भी देनी होती है।

21 दिन बाद की प्रक्रिया इस प्रकार होगी

आपको इस पते पर MCD के दफ्तर जाना होगा

डिप्टी हेल्थ आफिसर (सेंट्रल जोन)
MCD जोनल आफिस
जल विहार, लाजपत नगर

* वहाँ जाकर आपको DHO के पास एक "एफीडेविट" जमा करना होगा। यह "एफीडेविट" किसी भी कोर्ट से बनवाया जा सकता है।

* बच्चे के पिता की पहचान का सबूत लगाना होगा

* DHO द्वारा "एफीडेविट" प्रमाणित किए जाने पर आप "सिटीजन सर्विस व्यूरा" में जाकर 10 रू फीस भरकर आवेदन कर सकते हैं।

जन्म के एक साल से अधिक होने पर :

इसके लिए नीचे दिए दस्तावेज लगाने होंगे

आपको SDM (डिफेंस कालोनी) के आफिस जाकर, आवेदन करना होगा।

पताः

B.D.O आफिस, अनुपम अपार्टमेंट के पास
M.B. रोड साकेत, नई दिल्ली – 110017

1. "Affidavit" (एफीडेविट)
2. 100 रू फीस जमा करवानी होगी
3. ऐसा दस्तावेज जिसमें बच्चे का नाम लिखा हो।

मसलन, स्कूल के प्रिंसिपल का पत्र।

4. बच्चे के पिता की पहचान का सबूत (यह सबूत जन्म की तारीख से पहले का होना चाहिए)

SDM यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि बच्चे के जन्म के समय परिवार दिल्ली में ही रह रहा था।

यह दस्तावेज, राशनकार्ड, आधार कार्ड या बिजली/पानी/टेलीफोन का बिल हो सकता है। ख्याल रहे इनकी तारीख बच्चे के जन्म से पहले की हो।

जब आपके पास SDM को आश्वस्त करने लायक सबूत न हों ?

अधिक देरी वाले केसों में SDM जन्म प्रमाण पत्र बनाने की परमीशन देने में असमर्थता जताते हैं।

उस स्थिति में

- आप MCD के जन्म-मृत्य विभाग से RTI के तहत नीचे दी जानकारी प्राप्त करें

* जिस माह में आपके बच्चे का जन्म हुआ है और जिस अस्पताल में हुआ है, उस माह एंव अस्पताल में पैदा हुए सभी बच्चों की जानकारी।

* सभी बच्चों के माता एंव पिता के नामों की जानकारी

आप खुद अस्पताल में जाकर उनके रिकार्ड से अपने बच्चे के जन्म की सूचना प्राप्त कर सकते हैं

ऊपर दिए गए दस्तावेजों को सबूत मानकर SDM आपके द्वारा दिए गए शपथ-पत्र (Affidavite) पर जन्म-प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति दे सकते हैं।

इन मामलों में आने वाली अन्य दिक्कतें

जन्म-प्रमाण पत्र खोजानाः डुप्लीकेट प्राप्त करने का तरीका क्या हो ?

20 रू फीस जमा करके आप "सिटीजन सर्विस व्यूरो" MCD दफ्तर लाजपत नगर में आवेदन कर सकते हैं

यदि बच्चा दिल्ली में पैदा न हुआ हो तो जन्मप्रमाण पत्र के लिए कहाँ आवेदन करें ?

आपको जन्म के गाँव या शहर में आवेदन करना होगा। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में पैदा बच्चों के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं अन्य राज्यों में पैदा बच्चों के नही।

यदि जन्म प्रमाण पत्र में गल्ती हो मसलन, तारीख की गल्ती, नाम के हिज्जे की गल्ती, इत्यादि। तब इसे कैसे ठीक करवाया जाय ?

- यदि बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था तो अस्पताल से "सुधार-पत्र" जारी करने का आग्रह किया जाये

- यदि जन्म घर पर हुआ हो :

आपको एक शपथ पत्र (Affidavite) और माता-पिता की पहचान के सबूत के साथ नीचे दिए दस्तावेजों में से किन्ही २ दस्तावेजों को लगाकर "सिटीजन सर्विस व्यूरो" में आवेदन करना होगा -

- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक का दस्तावेज